



कार्यालय मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०

छठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार,

14-अशोक मार्ग, लखनऊ।

दूरभाष : 0522-2288656

cehydelpcl@gmail.com

फैक्स : 0522-2288655

संख्या : 1957 /अ-2/सी०ई०एच०/17

दिनांक 24/10/2017

कार्यालय ज्ञापन

एतद्वारा पूर्व में प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ को आवंटित निम्नलिखित अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) (विद्युत) को अग्रेतर प्रशिक्षण हेतु स्तम्भ-09 में अंकित वर्तमान तैनाती इकाई से स्तम्भ-10 में अंकित इकाई/डिस्काम को आवंटित किया जाता है :-

क्र० सं०	रोल नं०	नाम सर्वश्री/कु०/श्रीमती	पिता का नाम सर्वश्री	जन्मतिथि	वर्ग	उप वर्ग	गृह जनपद	पूर्व आवंटित डिस्काम का नाम	नव आवंटित डिस्काम का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	1120046	PRADEEP KUMAR MAURYA	RAM LAKHAN MAURYA	10.03.1993	OBC	UR	ALLAHA BAD	MD PASCHIMANCHAL VVNL, MEERUT	MD, KESCO KANPUR

नियंत्रक अधिकारी का दायित्व होगा कि उपरोक्त अवर अभियन्ता को बिना प्रतिस्थानी एक माह के अन्दर कार्यमुक्त करना सुनिश्चित करेंगे तथा कारपोरेशन के नियमानुसार उनकी निर्धारित अवधि की वार्षिक आख्या अंकित करेंगे।

उक्त कार्यालय ज्ञाप की अन्य शर्तें यथावत् रहेगी तथा यात्रा अवधि के अतिरिक्त कार्यभार ग्रहण अवधि तथा यात्रा-भत्ता अनुमन्य नहीं होगा।

मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)

संख्या : 1957 /अ-2/तददिनांक : 24/10/2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अध्यक्ष, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
3. प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमोच्चल विद्युत वितरण निगम लि०, मेरठ।
4. प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि कृपया उपर्युक्त अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) को कार्यभार ग्रहण करने, तत्सम्बन्धी सूचना इस कार्यालय को अवश्यमेव रूप से प्रेषित करने एवं निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, सरोजनी नगर, लखनऊ द्वारा निर्धारित प्रशिक्षण हेतु इन्हें ससमय कार्यमुक्त करने हेतु सम्बन्धित प्राधिकारी को निर्देशित करने की कृपा करें।
5. निदेशक (का०प्र० एवं प्रशा०), उ०प्र० पा०का०लि०, शक्ति भवन, लखनऊ।
6. निदेशक, विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, सरोजनी नगर, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि उपर्युक्त अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु) को प्रशिक्षण देने हेतु निर्धारित कार्यक्रम की सूचना अपने स्तर से प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
7. सम्बन्धित अवर अभियन्ता (प्रशिक्षु)
8. वैयक्तिक पत्रावली।

(वी०के० निगम)

वैयक्तिक सहायक(षष्ठम)

कृते मुख्य अभियन्ता(जल-विद्युत)